राजस्थान सरकार

ायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– रेखा गुर्जर आर0ए0एस0

संख्या :– 152/2026 प्र0पत्र

भैरूलाल पुत्र तिलोक गुर्जर नि0 मौजा भाखेड़ा–तह0करेड़ा

प्रार्थी........

बनाम

नाथू पु0 भोपा गुर्जर नि0 मौजा भाखेड़ा – तह0 करेड़ा – आदि

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 13/4/26

ार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत दन किया कि ग्राम भाखेड़ा पटवार हल्का भाखेड़ा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 196,199 आराजी नम्बर 858/434, 773/434,......................................

....

.... कुल किता 2 रकबा 1.2647..........

भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13/4/26.............. को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी ा अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते र्क की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

ार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम........... भाखेड़ा......... पटवार हल्का भाखेड़ा.......... तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या जी नम्बर........858/434, 773/434..

....

.... कुल किता 2...... रकबा 1.2647

यर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू निरीक्षक चिताम्बा..............को........600/—/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

:– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार